भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या - 275
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2014/3 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>फर्जी कंपनियां</u>

***275. डा. किरीट सोमैया :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 13 बहुराज्यीय संचालकों सहित 34 प्रमुख चिट फंड/पोन्जी कंपनियों की गतिविधियों की जांच करने के निर्देश देने संबंधी आदेश को संज्ञान में लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उक्त कंपनियों/बहुराज्यीय संचालकों के विरूद्ध जांच पूरी कर ली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच में क्या टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं;
(ग) क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कंपनी पंजीयक, प्रवर्तन निदेशालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित विभिन्न विनियामकों को उक्त कंपनियों/बहुराज्यीय संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निदेश दिए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विनियामकों/एजेंसियों द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

*****

<u>दिनांक 25 जुलाई, 2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 275 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (घ) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में की गई अपनी 'प्रारंभिक जांच' में पाया कि उन्हें संदर्भित 33 कंपनियों में से 13 कंपनियां अपना व्यवसाय वैध तरीके से नहीं कर रही थीं। राज्य पुलिस ने इनमें से 8 कंपनियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की।

माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर पीठ ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उपर्युक्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट (33 कंपनियों संबंधी) पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक को दिनांक 13.07.2012 के अपने आदेश द्वारा निर्देश दिया जो कि इस प्रकार है:

> "परिणामस्वरूप, रिट याचिका का इस निदेश के साथ निपटान किया जाता है कि इस पीठ का प्रधान रजिस्ट्रार इस आदेश की एक प्रतिलिपि भारत संघ को सचिव, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से; भारतीय रिजर्व बैंक को उसके गवर्नर, बंबई (महाराष्ट्र) के माध्यम से; मध्य प्रदेश राज्य को सचिव, गृह मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के माध्यम से; भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (वित्त मंत्रालय के अधीन) को उसके अध्यक्ष, मुंबई के माध्यम से भेजेगा तथा संबंधित विभागों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी टिप्पणी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करें। एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने कोई अनिवार्य आदेश जारी नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट को ध्यान में रखना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में होगा। प्राधिकरण हमारी जानकारी के अनुसार इस आदेश के पैरा 6 में यथा उल्लिखित विशेष अनुमति याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने संबंधी तथ्यों पर भी विचार करें।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार, प्रवर्तन निदेशालय अथवा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को कोई निदेश जारी नहीं किए गए।

सेबी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11कक और सेबी सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) नियमन, 1999 की प्रयोज्यता के संबंध में 34 एनटिटियों/कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की गई है जो कि इस प्रकार है :-

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या
1	मामले जिनमें सेबी ने अंतरिम आदेश पारित किए हैं।	4
2	मामले जिनमें सेबी ने अंतिम आदेश पारित किए हैं।	1
3	मामले जो समाप्त हो गए हैं अथवा आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए अन्य एजेंसियों को भेजे गए हैं।	4
4	जिनमें जांच चल रही है।	25

कुल	**34**

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, बैंक ने कंपनियों की जांच के बाद इस प्रकार के क्रियाकलापों को अपने नियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं पाया।

*****